आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
1	2	3

28.12.2018

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या-83/2009

(धारा 21 बि0पी0पी0एच0टी0 अधिनियम के तहत)

1. राजेश पासवान, पिता स्व0 जगदीश पासवान, सा0-धनहारा, थाना-के0नगर, जिला-पूर्णिया।

.....- आवेदक

बनाम

2. सहदेव पासवान, पिता छुतहरू पासवान, सा0-धनहारा, थाना-के0नगर, जिला-पूर्णिया।

.....- विपक्षी

आ दे श

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आवेदक द्वारा **अंचल अधिकारी, के0नगर** के **बासगीत पर्चा वाद संख्या-29/1983-84** में पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है। विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0	पर्चाधारी का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
1	सहदेव पासवान, पिता छुतहरू पासवान, सा0-धनहारा, थाना-के0नगर, जिला-पूर्णिया	हाट धनहारा	11	13	356	0.4 डीसमिल

इस वाद में **अंचल कार्यालय, के0नगर** से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक 119/ दिनांक 31.01.14 के आलोक में बासगीतपर्चा वाद का उक्त मूल अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

आवेदक द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक के दादा द्वारा प्रश्नगत जमीन क्रय किया गया था, जिसका वासगीत पर्चा अवैध तरीका से विपक्षी के नाम से निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी भूमिहीन तथा प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं हैं। इन्हें प्रर्याप्त भूमि एवं अपनी जमीन पर पक्का मकान उपलब्ध है। निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से पर्चा बना दिया गया है। वासगीत पर्चा का अभिलेख भी अंचल कार्यालय में नहीं है। आवेदक एक भूमिहीन तथा गरीब है जिन्हें प्रश्नगत भूमि के अलावे अन्य कोई वास योग्य भूमि नहीं है। अतएव निर्गत वासगीत पर्चा रद्द करते हुए पुनरीक्षण आवेदन स्वीकृत करने की

कृपा की जाय।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा विधि सम्मत है। विपक्षी आवेदक के दादा के यहाँ मजदूरी करते थे जिन्हें उक्त भूमि पर बसाया गया। प्रश्रय प्राप्त रैयत होने के नाते अंचल कार्यालय द्वारा जाँचोपरांत पर्चा निर्गत किया गया। अतएव माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

इस वाद में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया के पत्रांक 687/रा0 दिनांक 30.10.17 द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि पर्चाधारी को वासगीत पर्चा वाली भूमि पर फूस का घर तथा अंश भाग में अर्धनिर्मित दीवार बना हुआ है एवं उसके बगल में दो पक्का का मकान अवस्थित है, जो पर्चाधारी का है। जाँच प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पर्चाधारी के पास पूर्व से स्वंय की निजी भूमि एवं पक्का का मकान है।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित कागजात, उपलब्ध स्थल जाँच प्रतिवेदन तथा अभिलेख के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि पर्चाधारी विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें जमीन पर अपना पक्का का मकान उपलब्ध है तथा वासगीत पर्चा वाली भूमि पर भी इनका फूस का घर एवं अर्धनिर्मित दीवार है। स्पष्ट है कि निजी भूमि/मकान रहने के बावजूद विपक्षी द्वारा पर्चा बना कर पर्चा वाली भूमि पर भी दखल करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में वासगीत पर्चा के आधार पर सृजित जमाबंदी का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में अंचल अधिकारी, के0नगर के बासगीतपर्चा वाद सं0-29/1983-84 में पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, के0नगर को भेजें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।